<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारीः- **सुनील कुमार पंचोली,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक जमानत प्रा० प० संख्याः- **392/2026 (CIS N. 424/2026)**

अजय झाझड़िया उर्फ अज्जु पुत्र महावीर झाझड़िया, उम्र 20 वर्ष, निवासी सोटवारा, पुलिस थाना मुकुन्दगढ, जिला झुंझुनूं (राज०)

...प्रार्थी/अभियुक्त

//बनाम//

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०) **....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
बमुकदमा एफआईआर संख्या 124/2026 पुलिस थाना गुढागौडजी
अन्तर्गत धारा 111(2)(बी),111(4),189(2),109(1),324(2),331(2) भारतीय न्याय संहिता
<u>एवं धारा 3 पीडीपीपी एक्ट एवं धारा 3/25,27 आयुध अधिनियम</u>

<u>उपस्थितः-</u>
1 श्री दीपेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2 श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

<u>आदेश</u> **दिनांकः- 09.07.2026**

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त अजय झाझड़िया उर्फ अज्जु की ओर से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 07.07.2026 को धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.04.2026 को थानाधिकारी सुरेश कुमार रोलन पुलिस थाना गुढागौडजी रात्रि को हुए घटनाक्रम के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन किसी के द्वारा भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। विक्रम सिंह उर्फ मोनू व अरविन्द्र उर्फ सोनू दोनों अलग–अलग गैंग चलाते है। इनका आमजन में भय व्याप्त है इस कारण आमजन में से कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ रिपोर्ट देने से कतराते है। दिनांक 04.04.2026 को रात्र ग्यारह–बारह बजे के लगभग आपसी गैंगवार में कस्बा गुढागौडजी में भौड़की चौराहा के पास विक्रम सिंह उर्फ की गैंग के सदस्यों तथा अरविन्द उर्फ सोनू की गैंग के सदस्यों ने आपस में एक–दूसरे को जान से मारने की नीयत से लोहे की गाटर लगी हुई कैम्पर गाड़ियों को दौड़ाकर भय का माहौल पैदा किया तथा कैम्पर गाड़ियों की आपस में टक्कर करवाते हुए भौड़की चौराहा से लुहारों का बास चौक की तरफ जाने

वाले रास्ते पर लगा हुआ बिजली विभाग का खम्भा तोड़ दिया तथा सडक किनारे बनी दुकानों का चबुतरा, रैलिंग आदि व बिजली के मीटरों को तोड़कर सार्वजनिक सम्पत्ति व आमजन को काफी नुकसान पहुंचाया है। घटना को अंजाम देने के बाद उक्त लोग वहां पर एक कैम्पर गाड़ी को छोड़कर बाकी अन्य गाड़ियों में सवार होकर फरार हो गये। तोड़–फोड़ करने वाली गैंगों में विक्रम सिंह उर्फ सोनू की गैंक में रोहित खारडिया, रमेश उर्फ छोटू, जितेन्द्र उर्फ जीतू, शिवराज उर्फ लाला आदि लोग शामिल थे तथा दूसरी गैंग में अरविन्द उर्फ सोनू के साथ उसके साथी नरेन्द्र खरबास, मंदीप, चन्द्रकांत उर्फ चन्दू व अन्य लोग शामिल होना आया है। उक्त दोनों गैंग के लोग आपराधिक प्रवृत्ति के है तथा सभी आपस में गैंग व संगठन बनाकर अपराध करते हैं। इनकी वजह से समाज में भय व्याप्त है इत्यादि। इस पर पुलिस थाना गुढागौडजी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 124/2026 दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 111(2)(बी),111(4),109(1),324(2),191(2) सपठित 190 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3 पीडीपीपी एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप बनना पाये जाने पर उसको दिनांक 06.07.2026 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी/तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों अनुरूप ही बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी से अनुसंधान शेष नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है प्रार्थी का मामला उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी दिनांक 06.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अन्त में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध किया गया।

5. उभयपक्ष को सुनकर केस डायरी का अवलोकन किया गया। अनुसंधान के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 111(2)(बी),111(4),109(1), 324(2),191(2) सपठित 190 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3 पीडीपीपी एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। प्रकरण में आपसी गैंगवार

में आपस में गाड़ियों को टकराकर घटना कारित किये जाने का आरोप है। किसी भी व्यक्ति के कोई चोट आई हो ऐसा चोट प्रतिवेदन अनुसंधान पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी से अनुसंधान शेष नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, वर्तमान प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी दिनांक 06.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/अभियुक्त को और अधिक समयावधि तक अभिरक्षा में रखे जाने से किसी भी प्रयोजन की पूर्ति होना जाहिर नहीं होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर विस्तृत टिप्पणी किए बिना मैं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित समझता हूं।

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अजय झाझड़िया उर्फ अज्जु** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी की संतुष्टिप्रद पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए की दो मोतबिर जमानतें और पचास हजार रूपए का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

7. न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

8. आदेश आज दिनांक **09.07.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.10 15:44:56 IST